प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—11फ / पंजीकरण / 2019—20 / 1476 दिनांक— 24 मई, 2019

विषयः—निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 24.05.2019 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन एवं नर्सिंग होम एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन एवं नर्सिंग होम एसोसियेशन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि कुछ जिलो में निजी चिकित्सालय के पंजीकरण में आने वाली कतिपय कठिनाइयों के निराकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाने परं, वांछित कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी अपर / उप मुख्य अधिकारी द्वारा नही किया जाता है बल्कि उन्हे सम्बन्धित पटल साहयको के पास भेजा जाता है जहाँ पर उत्पीडन होता है। इस पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा रोष प्रकट किया गया एवं उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयो के नवीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर संबंधित को उसकी आपत्ति के संबंध में अवगत करा दिया जाए जिससे कि संबंधित चिकित्सा इकाईयो के अधिष्ठाता अपनी कमियों को यथाशीघ्र आपत्ति निस्तारित कर सके तथा अधिष्ठानो का नवीन पंजीकरण यथाशीघ्र किया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में पंजीकृत निजी चिकित्सा अधिष्ठानों के नवीनीकरण हेतु जिनमे कोई परिवर्तन न किया गया हो उन्हे नियमानुसार बिना किसी विलम्ब के नवीनीकरण कर दिया जाये एवं जिनमे परिवर्तन हो उन्हे आवेदन प्राप्त होने के 01 माह के भीतर या उससे पूर्व निस्तारित कर दिया जाये।

भवदीय,

(डा0 पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः—11फ / पंजीकरण / 2019—20 / तददिनांक—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन लखनऊ।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4—अध्यक्ष / सचिव आई0एम0ए0 एवं नर्सिंगहोम एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
5—स्टाफ ऑफीसर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 सविता भट्ट)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—11फ / पंजीकरण / 2019—20 / दिनांक— 24 मई, 2019

विषयः—निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 24.05.2019 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन एवं नर्सिंग होम एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन एवं नर्सिंग होम एसोसियेशन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि कुछ जिलो में निजी चिकित्सालय के पंजीकरण में आने वाली कतिपय कठिनाइयों के निराकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाने परं, वांछित कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी अपर/उप मुख्य अधिकारी द्वारा नही किया जाता है बल्कि उन्हे सम्बन्धित पटल साहयको के पास भेजा जाता है जहॉ पर उत्पीडन होता है। इस पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा रोष प्रकट किया गया एवं उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयो के नवीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर संबंधित को उसकी आपत्ति के संबंध में अवगत करा दिया जाए जिससे कि संबंधित चिकित्सा इकाईयो के अधिष्ठाता अपनी कमियों को यथाशीघ्र आपत्ति निस्तारित कर सके तथा अधिष्ठानो का नवीन पंजीकरण यथाशीघ्र किया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में पंजीकृत निजी चिकित्सा अधिष्ठानों के नवीनीकरण हेतु जिनमे कोई परिवर्तन न किया गया हो उन्हे नियमानुसार बिना किसी विलम्ब के नवीनीकरण कर दिया जाये एवं जिनमे परिवर्तन हो उन्हे आवेदन प्राप्त होने के 01 माह के भीतर या उससे पूर्व निस्तारित कर दिया जाये।

भवदीय,

(डा0 पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः—11फ / पंजीकरण / 2019—20 / 1477-81 **तददिनांक—**

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन लखनऊ।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4—अध्यक्ष/सचिव आई0एम0ए0 एवं नर्सिगहोम एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
5—स्टाफ ऑफीसर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 सविता भट्ट)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)